IDBI BANK

प्रेस विज्ञप्ति
PRESS RELEASE

**तत्काल प्रकाशन/ प्रसारण/ टेलिकास्ट के लिए**

**पीआर- 1347**

**आईडीबीआई बैंक ने 2009-13 के दौरान दिये गए पुराने मत्स्य पालन ऋणों के लिए 100% का प्रावधान किया**

**मुंबई 29 मार्च 2018:** यह 'आईडीबीआई बैंक ने 772 करोड़ रुपये के मत्स्य पालन ऋण की धोखाधड़ी का खुलासा किया' पर हाल ही की मीडिया रिपोर्टों/ खबरों के संदर्भ में है.

बैंक यह दोहराना चाहता है कि मत्स्य पालन ऋण धोखाधड़ी कोई नया मामला नहीं है. इसका 2013 में ही पता लगाया गया तथा खुलासा किया गया था. इसे 2013 में धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रिपोर्ट तथा विधिवत रूप से दर्ज किया गया था.

बैंक यह दोहराना चाहता है कि धोखाधड़ी के रूप में पहचान किए गए सभी मत्स्य पालन ऋणों के लिए पूर्णतः प्रावधान किए गए हैं तथा इसका बैंक की लाभप्रदता/ तुलन पत्र पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा.

बैंक उधारकर्ताओं से बकाया वसूलने के लिए सभी विधिक कार्रवाई जारी रखे हुए है तथा चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है.